

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

**संकल्प**

संख्या- 3प0/बीआरजीएफ(नीति)-17-02/2014/पं0रा0...9221...

दिनांक...19.11.2014

**विषय :** पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम, तेरहवां वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं इत्यादि, का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के पत्र ज्ञापांक-12686 दिनांक 15.11.2006 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जाता है। विभागीय पत्रांक-1406 दिनांक 30.03.2007 तथा विभागीय पत्रांक-1948 दिनांक 28.04.2008 द्वारा क्रमशः 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गयी राशि तथा बी0आर0जी0एफ0 निधि से योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	प्रमण्डलीय आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु	₹10.00 करोड़ तक
2	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु	₹50.00 लाख तक
3	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु	₹30.00 लाख तक
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु	₹05.00 लाख तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी स्वीकृति हेतु	₹10.00 करोड़ तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति हेतु	₹50.00 लाख तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति हेतु	₹05.00 लाख तक

2. विगत वर्षों में योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं अनेक जिलों के ग्राम पंचायतों के मुखिया तथा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के प्रमुखों/अध्यक्षों द्वारा पंचायती राज विभाग से विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली राशि से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत एवं विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों के प्रत्यायोजित शक्तियों को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त बी0आर0जी0एफ0 समेत अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा से भी यह संकेत मिल रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गयी राशि अपेक्षित गति से व्यय नहीं हो रही है। उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में नये सिरे से प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गयी राशि तीव्र गति से व्यय होगी एवं इसका अनुकूल प्रभाव राज्य के विकास एवं केन्द्रीय योजनाओं पर भी पड़ेगा।

3. अतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति निम्नरूपेण प्रत्यायोजित की जाती है :-

(i) ग्राम पंचायतों द्वारा ली जा रही विभाग की ₹5.00 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कनीय अभियंता को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।


(ii) ग्राम पंचायतों की ₹5.00 लाख से अधिक की योजनाओं तथा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरुद्ध उल्लिखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति का स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ ₹0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ ₹0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख ₹0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पाँच लाख ₹0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ ₹0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ ₹0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख ₹0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पाँच लाख ₹0 तक

(iii) पाँच लाख रुपये तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा विभाग के विभिन्न योजनाओं के अधीन नियोजित अभियंताओं की सेवा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

(iv) सभी चालू योजनाओं के मापी के लिए विभाग द्वारा नियोजित अभियंता अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत/बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अन्तर्गत कार्यरत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सक्षम होंगे।

(v) योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा पारित किया जाएगा, जो संबंधित योजना में तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हो।

  
 19/11/14  
 संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,  
 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

